इकतीसवां प्रतिवेदन

याचिका समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

इस्पात मंत्रालय

(28.03.2022 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022

सीपीबी. सं. 1 खंड XXXI

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित।

<u>विषय-सूची</u>

पृष्ठ

याचिका समिति का गठन.. (ii)

प्राक्कथन.. (iii)

प्रतिवेदन

राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के मृतक कामगारों के कानूनी उत्तराधिकारियों के कल्याण के संबंध में राउरकेला इस्पात संयंत्र विधवा एसोसिएशन के श्री स्वपन दास और अन्य के अभ्यावेदन पर याचिका समिति के19वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई। 1

अनुलग्नक

याचिका समिति की 22.12.2021 को हुई 19वीं बैठक का कार्यवाही सारांश (संलग्न नहीं)

याचिका समिति का गठन

श्री हरीश द्विवेदी - *सभापति*

सदस्य

2. श्री एंटो एन्टोनी
3. श्री हनुमान बेनीवाल
4. डॉ. सुकान्त मजूमदार
5. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
6. श्री पी. रविन्द्रनाथ
7. श्री बृजेन्द्र सिंह
8. श्री सुशील कुमार सिंह
9. श्री मनोज तिवारी
10. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
11. श्री राजन विचारे
12. रिक्त
13. रिक्त
14. रिक्त
15. रिक्त

सचिवालय

1.	श्री टी.जी.चन्द्रशेखर	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री राजू श्रीवास्तव	-	निदेशक
3.	श्री जी.सी.डोभाल	-	अपर निदेशक
4.	श्री हरीश कुमार सेठी	-	कार्यकारी अधिकारी

याचिका समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

प्राक्कथन

मैं, याचिका समिति का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के मृतक कामगारों के कानूनी उत्तराधिकारियों के कल्याण के संबंध में राउरकेला इस्पात संयंत्र विधवा एसोसिएशन के श्री स्वपन दास और अन्य के अभ्यावेदन पर याचिका समिति के 19वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर समिति का यह इकतीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) सभा में प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने 22 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में 31वें प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया।

3. उक्त मामलों पर समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें प्रतिवेदन में शामिल की गई है।

नई दिल्ली;
<u>22 दिसंबर, 2021</u>
1 पौष, 1943 (शक)

श्री हरीश द्विवेदी,
सभापति,
याचिका समिति

प्रतिवेदन

राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के मृतक कामगारों के कानूनी उत्तराधिकारियों के कल्याण के संबंध में राउरकेला इस्पात संयंत्र विधवा एसोसिएशन के श्री स्वपन दास और अन्य का अभ्यावेदन पर याचिका समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

याचिका समिति ने 22 मार्च, 2021 को राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के मृत कामगारों के कानूनी उत्तराधिकारियों के कल्याण से संबंधित राउरकेला इस्पात संयंत्र विधवा एसोसिएशन के श्री स्वपन दास और अन्य के अभ्यावेदन से संबंधित उन्नीसवां प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत किया।

2. समिति ने इस मामले में कतिपय टिप्पणियां /सिफारिशें की थी और इस्पात मंत्रालय को सिफारिशों का कार्यान्वयन करने तथा इस पर अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर भेजने के लिए कहा था ताकि समिति इस पर आगे विचार कर सके।

3. इस्पात मंत्रालय से उक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पिणयों/सिफारिशों के संबंध दिनांक 17 सितंबर, 2021 के कार्यालय ज्ञापन सं. एस-29012(2)/2021 के तहत की-गई-कार्रवाई उत्तर प्राप्त हुआ है।

4. समिति द्वारा की-गई-सिफारिशें और इस पर इस्पात मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर अग्रवर्ती पैरा में विस्तार से दिए गए हैं –

5. प्रतिवेदन के पैरा 22 से 25 में समिति ने निम्नवत सिफारिशें की थी –

"<u>अनुकंपा आधार पर बिना परेशानी के नियुक्ति प्रदान करने के लिए दिवंगत कामगारों के आश्रित पारिवारिक सदस्यों के संरक्षण हेतु नीतियां/दिशा-निर्देश</u>

लोक सभा की याचिका समिति राउरकेला स्टील प्लांट विडोज एसोसिएशन के श्री स्वप्न दास और अन्यसे राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) के दिवंगत कामगारों के कानूनी उत्तराधिकारियों के कल्याण के बारे में प्राप्त अभ्यावेदन की जांच करते समय पाया कि यह मामला लगभग 25 वर्ष पुराना है। इससे पहले, आरएसपी के पूर्व कर्मचारियों की विधवाओं/आश्रितों ने भी श्रम संबंधी स्थायी संसदीय समिति के सामने अपनी बात रखी थी। इस पूरे मुद्दे की श्रम संबंधी समिति ने वर्ष 2012 में जांच की थी और दिवंगत कर्मचारियों के सभी 18 परिवार के सदस्यों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देने हेतु अनुकूल रुप से विचार करने के लिए इस्पात मंत्रालय/सेल का मौखिक साक्ष्य लिया था । उस समय अन्य बातों के साथ श्रम संबंधी समिति को यह भी बताया गया था कि इन आश्रितों को रोजगार देना संभव नहीं होगा लेकिन पात्र मामलों को कर्मचारी परिवार लाभ योजना (ईएफबीएस) के अंतर्गत कवर करने की संभावना तलाशी जाएगी। तदनुसार राउरकेला स्टील प्लांट के पूर्व कर्मचारियों के 15 पात्र आश्रितों को ईएफबीएस का लाभ देने का प्रस्ताव पारिश्रमिक समिति और सेल के एचआर की 1.8.2012 को हुई बैठक में एक विशेष मामले के रुप में लेते हुए उस पर विचार किया गया; बशर्ते कि न्यायालय के मामलों को वापस लिया जाए। इसके बाद उक्त प्रस्ताव को सेल बोर्ड द्वारा अपनी 12.2.2013 को हुई 390वीं बैठक में मंजूर किया गया। तथापि, कतिपय प्रशासनिक विलंब के कारण ईएफबी योजना के लाभ देने का प्रस्ताव सफल नहीं हुआ।

समिति सेल/आरएसपी द्वारा दी गई सूचना से यह भी नोट करती है कि अनुकंपा आधारों पर रोजगार देने के मामले में एकरुपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सेल कारपोरेट ऑफिस द्वारा समान दिशानिर्देश संयंत्रों/यूनिटें द्वारा अंगीकृत करने हेतु जारी किए गए थे। उक्त दिशानिर्देशों को राउरकेला स्टील प्लांट में 1.9.2011 से लागू किया गया था तथा आरएसपी में 22.11.1992 से पहले से मौजूद योजना को समाप्त कर दिया गया। वस्तुत: अनुकंपा आधार पर रोजगार देने हेतु समय-समय पर निर्मित दिशानिर्देशों/नियमों को शामिल किए जाने की कतिपय शर्तें/अनुबंध होते हैं। समिति यह भी नोट करती है कि

मृत्यु, स्थायी पूर्ण निशक्तता और चिकित्सकीय दृष्टि से अविधिमान्यता की स्थिति में कर्मचारियों के आश्रित पारिवारिक सदस्यों को राहत/लाभ देने के लक्ष्य से, आरएसपी अनुकंपा रोजगार के दिशा-निर्देशों का लगातार एवं एकरुपता से 01.09.2011 से पूरे देश में सभी सेल संयंत्रों/यूनिटों के लिए लागू कारपोरेट नीति की तर्ज पर अनुपालन कर रहा है और वर्तमान नीति में अशक्तकारी रोगों के कारण चिकित्सीय अशक्तता को भी शामिल किया गया है। सेल/आरएसपी ने उन ठेका श्रमिकों के पात्र आश्रितों को रोजगार देना शुरु कर दिया है जो संयंत्र के भीतर एवं रोजगार-स्थल पर मौजूद रहने के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अनुकंपा रोजगार नीति बदलते कारोबार परिवेश एवं विभिन्न न्यायिक निर्णयों से विकसित हुई है। गत पांच वर्षों में आरएसपी ने अनुकंपा आधार पर 174 व्यक्तियों को रोजगार देने पर विचार किया है।

समिति पाती है कि दिवंगत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा आधार पर रोजगार देने के पहलू पर सेल/आरएसपी प्रबंधन द्वारा अनुकंपा के अपेक्षित स्तर तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है, शायद इसके कारण पुरानी एवं नई नीति दिशानिर्देश आदि में स्व–निर्मित जटिल निबंधन एवं शर्तें हैं। इसलिए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विशेषकर किसी स्थायी रोजगार के अभाव में या कमजोर वित्तीय दशा के कारण जीवन-निर्वाह के संदर्भ में अनुकंपा आधारों पर रोजगार देने की उनकी नीति/दिशानिर्देश के प्रभाव का आकलन करने के लिए इस्पात मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से समयबद्ध त्वरित अध्ययन शुरु करे।

समिति इस्पात मंत्रालय से यह भी सिफारिश करती है कि वह भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को दिवंगत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां देने के लिए आसान, नमनीय एवं निर्बाध तंत्र का पता लगाने के लिए सभी संभव सहायता दे जिससे भविष्य में इतने लंबे गतिरोध से बचा जा सके। समिति चाहती है कि उसे इस बारे में की गई कार्यवाही से इस

प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करने के तीन माह के अंदर अवगत कराया जाए।"

6. इस्पात मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है –

"एक महारत्न कंपनी होने के नाते सेल को लोक उद्यम विभाग)डीपीई (के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22(1)/2009-जीएम दिनांक 4.2.2010 (अनुलग्नक-I) के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है । अनुकंपा रोजगार पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के सम्बंध में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा .सं 41013/1/2013-स्था).डी (दिनांक 25.03.2013, में निम्नलिखित का उल्लेख है:

लोक *उद्यम विभाग ने अपने* पत्र सं .2 *(63) 07-डीपीई)जीएम*) दि*नांक* 11, *मार्च 20*08 के तहत *समिति को सूचित* कि*या कि विट्ठल समिति ने अनुकंपा नियुक्ति* के मामले में उनके द्वारा जारी *दिशा-निर्देशों की समीक्षा की है।* सी*पीएसई को उनकी प्रचालनात्मक/व्यावसायिक आवश्यकताओं* को ध्यान में रखते हुए अनुकं*पा नियु*क्ति पर *अ*पने दि*शा*निर्देश तै*यार* करने के लिए स्वायत्तता दी *गई थी।"*

माननीय समिति की सिफारिश के अनुसार मृत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा आधार पर रोजगार के मुद्दे की पुन:जांच डीपीई,-सीपीएसई के सम्बंध में मामलों से संबंधित नोडल विभाग के परामर्श से की गई है। *डीपीई* ने *अपने का.*ज्ञा.सं *डीपीई*-जीएम-12 / *0004/2019* ए*फटीएस* -105*6*2 दिनांक 30/31.*08.*2021 के तहत सू*चित किया है* कि उन्होनें *सीपी*एसई में अनुकंपा नियुक्तियों के लिए*कोई भी दिशा-निर्देश जारी नहीं किया* है। इसके *अतिरिक्त, बोर्ड* स्तर से नीचे के पदों पर भ*र्ती का* मामला, *संबंधित सीपी*एसई प्रबंधन के कार्य क्षेत्र के तहत, उनकी मानव संसाधन नीति के अनुसार आता है।"

7. प्रतिवेदन के पैरा 26 से 31 में समिति ने निम्नवत सिफारिशें की थी -

''दिवंगत कामगारों के आश्रित पारिवारिक सदस्यों को कर्मचारी परिवार लाभ योजना (ईएफबीएस) की सुविधा देना।

समिति इस्पात मंत्रालय द्वारा दिए गए कथनों से नोट करती है कि कर्मचारी परिवार लाभ योजना (ईएफबीएस) को आरएसपी/सेल द्वारा अपनी संस्थापनाओं में लागू किया जा रहा है। इस योजना के लक्ष्य कर्मचारी के कंपनी की सेवा के दौरान पूर्ण स्थाई निशक्तता के मामले में और उसकी मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक लाभ प्रदान करना है। इस योजना में कार्यकारी तथा गैर कार्यकारी काडर में प्रबंध प्रशिक्षु के रूप में भर्ती कर्मचारियों सहित सभी नियमित कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा स्थायी रूप से निशक्त कर्मचारी भी इस योजना के लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

समिति यह भी पाती है कि आरएसपी/सेल में यह योजना 1.1.1989 से लागू है। मृत्यु/स्थायी पूर्ण निशक्तता के मामलों में जो 1.1.89 से आज तक घटित हुई है, जब से योजना अधिसूचित हुई है, नामिति /कर्मचारी जैसा भी मामला हो, को छह माह की अवधि भविष्य निधि या उपदान देयों को जमा करने के लिए दी जाएगी यदि वह इस योजना का विकल्प देता है/देती है। मृत्यु या स्थायी संपूर्ण निशक्तता के कारण कंपनी की सेवा से कर्मचारी के अलग होने पर उसके नामिति या कर्मचारी; जैसा भी मामला हो, को कर्मचारी के पूर्ण भविष्य निधि या उपदान धनराशि को कंपनी के पास जमा किए जाने पर योजना के अनुसार वह उतने मासिक भुगतान के लिए पात्र होगा जो उसके द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन और महंगाई भत्ता के योग के बराबर हो। ऐसा मासिक भुगतान उस सामान्य तारीख तक जारी रहेगा जब तक संबद्ध कर्मचारी अधिवार्षिता की आयु प्राप्त कर लेगा, यदि वह कर्मचारी कंपनी की सेवा में होगा। कुछ मामलों में यदि एक कर्मचारी ने भविष्य निधि से धनराशि निकाली है अथवा वह अपनी पारिवारिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भविष्य निधि संचित जमा राशि के भाग को अपने पास रखने का निर्णय लेता है तो योजना के खंड 4.1 के अंतर्गत ग्राह्य मासिक भुगतान समानुपारिक रूप से घट

जाएगा। वैकल्पिक रुप से, ऐसा कर्मचारी अथवा उसका नामिति यथास्थिति, योजना के अंतर्गत पूर्व लाभ प्राप्त करने के लिए अंतर की राशि जमा करने के लिए अंतर वाली राशि जमा करके आहरण के कारण हुई कमी को पूरा कर सकता है। कर्मचारी/नामिति को स्थायी पूर्ण निशक्तता/मृत्यु की तारीख से अधिकतम छह महीने की अवधि में कंपनी के पास एकमुश्त रूप में भविष्य निधि और उपदान की राशि जमा करानी पड़ती है। अलग हुए कर्मचारी की अधिवार्षिता की वैकल्पिक तारीख पर इस योजना के अंतर्गत मासिक भुगतान बंद हो जाएंगे और योजना के अंतर्गत कंपनी के पास जमा राशि कर्मचारी/अथवा उसके नामिती को वापस कर दी जाएगी। योजना के अंतर्गत, जमा की अवधि के लिए भविष्य निधि और उपदान की जमा राशि पर कोई ब्याज ग्राह्य नहीं होगा। यदि कर्मचारी/नामिती किसी समय योजना के अंतर्गत कंपनी के पास जमा भविष्य निधि और उपदान राशि को स्थायी रुप से निकालना चाहता है तो वह उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में, कर्मचारी/नामिति को योजना के अंतर्गत ऐसे आहरण की तिथि से लाभ मिलना बंद हो जाएगा और वह किसी अन्य लाभ का भी पात्र नहीं होगा। कंपनी के पास जमा भविष्य निधि और उपदान राशि के आंशिक भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी। कंपनी क्वार्टर खाली करने के पश्चात् ही इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी/नामिति को लाभ प्राप्त होगा। इस योजना का विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों को योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति भविष्य निधि के नियमों के अंतर्गत नामितियों में से एक होगा। स्थायी पूर्ण निशक्तता के कारण अलग हुआ और इस योजना से जुड़ने वाला कर्मचारी स्वयं इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करेगा/करेगी। नामांकन नहीं होने की स्थिति में, योजना के अंतर्गत, भविष्य निधि के भुगतान के लिए कर्मचारी द्वारा किए गए नामांकन को इस योजना के अंतर्गत किया गया नामांकन माना जाएगा। एक से अधिक नामिति होने की स्थिति में पहले नामिति को योजना के लिए 'नामिति' माना जाएगा। यदि भविष्य निधि का नामांकन नहीं किया जाता है तो गतिरोध दूर किया जाएगा जैसा कि भविष्य निधि के मामले में

किया जाता है। कर्मचारी से पूर्व नामिति की मृत्यु के मामले में कर्मचारी को नया नामांकन करना होगा।

समिति यह नोट करती है कि प्रत्येक संयंत्र/एकक योजना के प्रशासन और प्रचालन का पर्यक्षण करेगा क्योंकि यह वित्त और प्रचालन प्रभागों में से दोनों के एक-एक प्रतिनिधि के साथ संयंत्र/एकक के कार्मिक विभाग के प्रमुख द्वारा अध्यक्षता वाली समिति के माध्यम से उनके कर्मचारियों से संबंधित है। योजना के अंतर्गत राशि कर्मचारी/समिति, यथास्थिति द्वारा अकाउंट पेई चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र के साथ जमा कराया जाएगा। वैकल्पिक रुप में, उनके पास अपने खाते के यथोचित निपटारे पर, भविष्य निधि न्यास की सहमति से राशि की सीधे ही न्यास द्वारा अंतरित कर दी जाएगी और इसी प्रकार, संबद्ध कर्मचारी/नामिति द्वारा 'प्राधिकार पत्र' द्वारा योजना के अंतर्गत जमा राशि के लिए संयंत्र/एकक से उपदान की राशि अंतरित हो जाएगी। संयंत्र/एकक कर्मचारी अथवा उनके नामिति द्वारा, यथास्थिति द्वारा जमा की गई राशि के लिए रसीद जारी करेगा। अब तक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की कर्मचारी परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ के अंतर्गत दिवंगत कर्मचारियों के 1561 आश्रितों ने विकल्प चुना है।

समिति आगे यह नोट करती है कि ऐसे मामलों में जहां दिवंगत कर्मचारी का आश्रित अनुकंपा आधार पर रोजगार पाने के लिए पात्र नहीं है वहां उसके पास ईएफबीएस लेने का विकल्प है जो यह सुनिश्चित करता है कि दिवंगत कर्मचारी द्वारा लिए गए वेतन का कतिपय शर्तों को पूरा करने के आधार पर आश्रित को भुगतान किया जाता है।

समिति यह भी पाती है कि श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति की इन टिप्पणियों पर विचार करते हुए कि यद्यपि आरएसपी के 15 दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को ईएफबी योजना उपलब्ध कराने को सेल/आरएसपी द्वारा

स्वीकृति दी गई थी, यह लाभ इस लाभ को प्राप्त करने हेतु छह महीनों की निर्धारित अवधि के चूक जाने के कारण नहीं दिया जा सका।

समिति इस बात को लेकर संतुष्ट है कि याचिका समिति, लोक सभा के आदेश पर ईएफबी योजना के अंतर्गत लाभ दिए जाने वाले पहलू को दिनांक 20.1.2021 को आयोजित अपनी 478वीं बैठक में सेल (सेल) बोर्ड द्वारा विशेष और एकबारगी निपटारे के रुप में सभी प्रात्र आश्रितों पर लागू किया है। तथापि, समिति इस्पात मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए आरएसपी/सेल (सेल) के वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर एक 'विशेष समिति' गठित की जाएगी। इन सभी आश्रितों को इस योजना के लाभ समयबद्ध रुप से प्रदान किए जाएं। यदि आश्रित व्यक्ति लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी के कारण वित्तीय संकट में है तथा योजना के अंतर्गत जमा करने के लिए आवश्यक आरंभिक राशि जमा करने की स्थिति में नहीं है तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए व्यावहारिक उपाय निकाला जाए। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करने के तीन महीनों के भीतर परिणाम से अवगत कराया जाए।

8. इस्पात मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है -

''सेल ने सूचित किया है कि माननीय याचिका समिति के निर्देश के अनुसरण में नियोजित परिवार लाभ योजना)ईएफबीएस (के तहत लाभ, जैसा कि माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, पात्र आश्रितों को विशेष और एकमुश्त भुगतान के रूप में चुनने/नामांकन करने हेतु दिया गया है और इसे पूर्वनिर्णय के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है। पात्र आश्रितों से प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है। इसके अलावा, माननीय समिति की सिफारिश के अनुसार, वर्तमान मामले में, निम्नलिखित वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जो मुद्दों का समाधान करेगी:

(i) श्री राजेन्द्र मिश्रा, सीजीएम)कार्मिक एवं प्रशासन(

(ii) श्री पी निगम, सीजीएम, प्रभारी)एफएंडए(

(iii) श्री पी.पी .महापात्रा, महाप्रबंधक प्रभारी)विधि(

मानीय समिति को अंतिम परिणाम प्रस्तुत किया जाएगा।

यह भी माननीय समिति की जानकारी के लिए प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता, श्री स्वपन दास द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण)कैट (कटक पीठ के समक्ष दर्ज किया गया मामला, मामला सं 2015 का टीए सं 20 स्वपन कुमार दास बनाम सेल और अन्य को दिनांक 09.07.2021 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया है। माननीय अधिकरण ने मूल आवेदन)ओए (को योग्यता से रहित पाया है, माननीय ट्रिब्यूनल के आदेश की प्रति अनुलग्नक-।। में है।''

टिप्पणियां/सिफारिशें

अनुकंपा के आधार पर समयबद्ध तरीके से नियुक्तियां करने संबंधी नीतियां/दिशा-निर्देश

9. समिति ने राउरकेला इस्पात संयंत्र विधवा संघ के श्री स्वपन दास व अन्य के प्रतिवेदन की जांच करते हुए राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के मृत श्रमिकों के कानूनी उत्तराधिकारियों के कल्याण के संबंध में पाया था कि मृत कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के पहलू पर सेल/आरएसपी प्रबंधन द्वारा अपेक्षित अनुकंपा कार्यवाही नहीं की जा रही है, संभवतः यह पुरानी के साथ-साथ नई नीति और स्वयं तैयार की गई जटिल शर्तों और दिशा-निर्देशों आदि के कारण है । इसलिए समिति ने इस्पात मंत्रालय से सिफारिश की थी कि वह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ परामर्श कर एक समयबद्ध त्वरित अध्ययन शुरू करे ताकि अनुकंपा आधार पर, विशेषकर किसी स्थायी रोजगार और कमजोर वित्तीय स्थिति के अभाव में उनके निर्वाह के संदर्भ में रोजगार प्रदान करने में उनकी नीति/दिशा-निर्देशों के प्रभाव का आकलन किया जा सके । समिति ने इस्पात मंत्रालय से यह भी सिफारिश की थी कि वह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को हर संभव सहायता प्रदान करे ताकि भविष्य में इस तरह के लंबे गतिरोधों की पुनरावृत्ति को समाप्त करने के लिए अपने दिवंगत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्तियां प्रदान करने के लिए एक आसान, लचीला और झंझट मुक्त तंत्र अपनाया जा सके ।

10. समिति की उपरोक्त सिफारिशों के प्रत्युत्तर में इस्पात मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, यह प्रस्तुत किया है कि सेल को एक महारत्न कंपनी होने के नाते, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ओएम संख्या 22 (1) /2009-जीएम दिनांक 04-02-2020 के

माध्यम से शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं और इनके तहत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपनी परिचालन/व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में अपने स्वयं के दिशा-निर्देश तैयार करने की स्वायत्तता दी गई है। तदनुसार, मृतक कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने के मामले की सार्वजनिक उद्यम विभाग के परामर्श से फिर से जांच की गई है। विभाग ने सूचित किया है कि उन्होंने सीपीएसई में अनुकंपा नियुक्तियों के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं । इसके अलावा, बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर भर्ती संबंधित सीपीएसई की मानव संसाधन नीति के अनुसार उनके प्रबंधन के दायरे में आती है।

11. समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि इस्पात मंत्रालय ने याचिका समिति, लोकसभा द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ परामर्श कर समयबद्ध त्वरित अध्ययन शुरू करने की दिशा पर केंद्रित थीं, ताकि अनुकंपा आधार पर रोजगार प्रदान करने में उनकी नीति/दिशा-निर्देशों के प्रभाव का आकलन किया जा सके और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अपने मृत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्तियां प्रदान करने के लिए एक आसान, लचीला और झंझट मुक्त तंत्र स्थापित करने में हर संभव सहायता प्रदान की जा सके । इसके विपरीत, इस्पात मंत्रालय ने अनुकंपा नियुक्तियों के लिए दिशा-निर्देशों के संबंध में केवल सीपीएसई की सांविधिक स्थिति को दोहराया है ।

12. इसलिए समिति अपनी पूर्व सिफारिश पर फिर से जोर देते हुए इस्पात मंत्रालय से बलपूर्वक कहना चाहेगी कि वह संसदीय समिति द्वारा दिए गए सुझावों को पूरी गंभीरता से ले और इस संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराए । बिना किसी कार्रवाई के केवल मौजूदा नीति/दिशा-निर्देशों का उल्लेख मात्र करना यह दर्शाता है कि संबंधित प्राधिकारियों का संसदीय समिति (यों) की कोई परवाह नहीं है । इस संदर्भ में, समिति मंत्रालय को यह भी याद कराना चाहती है कि याचिकाओं/अभ्यावेदनों की उनकी जांच का दायरा अंततः जनता की शिकायतों को कुछ राहत प्रदान कर समाप्त हो जाता

है, विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिका समिति, लोक सभा से संपर्क करने से पूर्व याचिकाकर्ताओं/अभ्यावेदनों ने सभी उपलब्ध चैनलों का प्रयोग कर लिया होता है,जिसमें संबंधित संगठन के सर्वोच्च प्राधिकारी भी शामिल होते हैं। इसलिए समिति चाहती है कि इस्पात मंत्रालय की ओर से संबंधित सिफारिश को लागू करने के लिए कम से कम एक योजना तैयार करने में कोई विलम्ब न किया जाए । समिति इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहेगी।

<u>मृतक के आश्रितों को ईएफबीएस का लाभ प्रदान करना</u>

13. याचिका समिति ने राउरकेला इस्पात संयंत्र विधवा संघ के श्री स्वपन दास व अन्य के प्रत्यावेदन में उठाए गए मुद्दे की जांच करते हुए इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि ईएफबी योजना के तहत सभी पात्र आश्रितों को लाभ नहीं दिया गया है। इसलिए समिति ने इस्पात मंत्रालय से सिफारिश की थी कि वह आरएसपी/सेल के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए एक विशेष समिति का गठन करे ताकि ऐसे सभी आश्रितों को समयबद्ध तरीके से उक्त लाभ देने संबंधी जटिल मुद्दे की जांच की जा सके। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि यदि आश्रितों को लंबे समय तक मुकदमेबाजी के कारण कोई वित्तीय संकट होता है और वे इस योजना के तहत अपेक्षित प्रारंभिक राशि जमा करने की स्थिति में नहीं हैं, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए कोई व्यावहारिक तरीका तैयार किया जाना चाहिए ।

14. इस्पात मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में यह बताया है कि कर्मचारी परिवार लाभ योजना के अंतर्गत लाभ पात्र आश्रितों को विशेष और एक बार की व्यवस्था के रूप में चुनने/नामांकित करने की पेशकश की गई है और इसे पूर्व उदाहरण के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है । समिति को यह भी बताया गया है कि पात्र आश्रितों से उत्तर अपेक्षित है। इसके अलावा, समिति की सिफारिश के अनुपालन में इस्पात मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए निम्नलिखित वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष समिति का गठन किया गया है:-

(i)	श्री राजेंद्र मिश्र	सीजीएम (कार्मिक एवं प्रशासन)
(ii)	श्री पी.निगम	प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक (एफ एंड ए)
(iii)	श्रीपी.पी.महापात्रा	प्रभारी महाप्रबंधक (विधि)

15. समिति यह नोट कर प्रसन्न है कि उनके कहने पर संबंधित सिफारिश का अनुपालन किया गया है और मृतक परिवार के सदस्यों के पात्र आश्रितों को एक विशेष मामले के रूप में कर्मचारी परिवार लाभ योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया है। तथापि, समिति इस्पात मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह सभी अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद न केवल इस योजना में आश्रितों के नामांकन में तेजी लाए बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि प्रभावित व्यक्तियों को योजना के तहत अपेक्षित प्रारंभिक राशि जमा करने के लिए नियमानुसार मौद्रिक सहायता प्रदान की जाए। समिति इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

नई दिल्ली;

<u>*22 दिसंबर, 2021*</u>

1 पौष, 1943 (शक)

श्री हरीश द्विवेदी,

सभापति,

याचिका समिति